देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/467 दिनांक : 28 FEB 2025

//संशोधित अधिसूचना//

कार्यालयीन पत्र क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/423, दिनांक 25 फरवरी 2025 के द्वारा जारी अधिसूचना में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 2025-26 की अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/पूर्व से संचालित पाठ्यकमों की निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय/नवीन विषय/शोध केन्द्र प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल/केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ आवेदन एवं MP Online के माध्यम से शुल्क, 18 % जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी जिसे निम्नानुसार बढ़ाई जाती हैः–

क्र.	विषय	आवेदन/ शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृहविज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2025–26 में अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने/नवीन महाविद्यालय प्रांरभ करने/नवीन विषय/शोध केन्द्र प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि।	10 मार्च 2025
2	25 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) आवेदन करने की अंतिम तिथि।	15 मई 2025

उपरोक्तानुसार सम्बद्धता आवेदन Samarth Portal के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु Samarth Portal के माध्यम से भुगतान GateWay प्रारंभ होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है। अतः पूर्व की भांति MP Online के माध्यम से शुल्क जमा किया जाना है। सम्बद्धता की अन्य समस्त प्रक्रिया Samarth Portal के माध्यम से ही की जाए। अतः सूचित किया जाता है कि Samarth Portal पर भी महाविद्यालय 10 मार्च 2025 तक जानकारी अवश्य भरें। साथ ही महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदनपत्र मय संलग्नको/प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राचार्य/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ/पठनीय स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपलोड किए गए दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल/फोल्डर में फ्लेग लगाकर शुल्क जमा करने के 3 दिन में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय को राज्य शासन से अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

MP Online से ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा नहीं करने पर अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि प्रकरणों पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।

नोटः–1. महाविद्यालय MP Online के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, आई.आई.पी. एस., दे.अ.वि.वि. इन्दौर से सम्पर्क करें।
2. डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आदेशानुसार,
कुलसचिव

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/467 दिनांक : 28 FEB 2025

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक, दैनिक ______________ की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार वृत्त में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य/संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बडवानी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला,इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. वित्त नियंत्रक/लेखा विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. डॉ. परेश अत्री, ओ.एस.डी., सम्बद्धता (Samarth Portal), दे.अ.वि.वि. इन्दौर
8. एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डी.सी.डी.सी.